>

Title: Regarding need for a legislation to check the increasing pollution caused by vehicles in the country.

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): महोदया, पूरे देश में जैसे-जैसे विकास हो रहा है, वैसे-वैसे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है तथा स्वच्छ वातावरण का शहरी क्षेत्र में तो लगभग अभाव ही हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र में जहां कि स्वच्छ और प्रदूषण रहित वातावरण अभी भी है परंतु यदि वही ग्रामीण क्षेत्र किसी राजमार्ग के निकट है तो वाहनों से निकलने वाला धुआं उक्त वातावरण को प्रदूषित कर रहा है।

जिस प्रकार विकास के लिए कल-कारखाने व परिवहन के साधन आवश्यक हैं, उसी प्रकार स्वस्थ रहने के लिए प्रदूषण रहित वातवरण भी आवश्यक है। भारत सरकार से इस संबंध मे राज्यों को कई बार निर्देश भी गए हैं तथा राज्य सरकारों ने पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड का भी गठन किया है, फिर भी इसका समुचित पालन नहीं हो रहा है तथा वाहनों के माध्यम से होने वाले प्रदूषण पर तो कोई रोक ही नहीं है। लाखों की संख्या में वाहन सड़कों पर चल रहे हैं और स्वच्छ वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। राज्य सरकारें इस संबंध में अमले की कमी व अन्य कारणों से इन पर कोई कार्यवही नहीं कर पाती हैं।

इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक वाहन जो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, गैस आदि लेने के लिए किसी न किसी पेट्रोल पम्प पर जाता है, उस समय किसी भी वाहन में ईधन भरने के पहले उक्त वाहन का एक्जास्ट के माध्यम से पॉल्यूशन चेक किया जाए। यदि वाहन पॉल्यूशन के मानकों के अनुरूप सही है तभी उक्त वाहन को ईधन दिया जाए अन्यथा नहीं दिया जाए। ऐसे निर्देश सरकार से पेट्रोलियम कम्पनियों को स्पष्ट रूप से दिए जाएं।

महोदया, निश्चित रूप से इस प्रकार के कानून के माध्यम से हम अपने देश को प्रदूषण रहित वातावरण उपलब्ध कराने में काफी सहायक सिद्ध होंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।